राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक : प.22(306) परि/प्रवर्तन/धारा 86/17/00918/ 4876 जयपुर, दिनांक 2/3/2020

सूचना

राजस्थान राज्य में पंजीकृत बसों के दिल्ली में अनाधिकृत रूप से संचालन पर प्रवर्तन शाखा, परिवहन विभाग दिल्ली द्वारा बनाये गये चालानों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशानुसार संबंधित बसों के वाहन स्वामियों को अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लघंन पर मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 86 के तहत नोटिस जारी कर, सुनवाई दिनांक 12.02.2020 एवं 27.02.2020 को नियत की गई थी।

सभी संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में सुनवाई की आगामी तिथि **19.03.2020** निर्धारित की जाती है।

अतः आप व्यक्तिशः अथवा जरिए अधिवक्ता दिनांक 19.03.2020, समय मध्यान्ह 3.30 बजे सदस्य राज्य परिवहन प्राधिकार के समक्ष उनके कार्यालय के मीटिंग हॉल 402 चतुर्थ मंजिल, परिवहन विभाग, सहकार मार्ग, जयपुर पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा इस प्रकरण में प्राप्त तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(आर.सी.यादव)
सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार

क्रमांक : प.22(306) परि/प्रवर्तन/धारा 86/17/00918/ 4877-79 जयपुर, दिनांक 2/3/2020

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सभी वाहन स्वामियों को यथा समय सूचित करें तथा सुनवाई दिनांक 19.03.2020 को अपने कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कार्मिक को संबंधित रिकॉर्ड (**वाहनों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण**) के साथ मुख्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंध करें।
2. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
3. रक्षित पत्रावली।

सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार

G:\compu\STA Section\RPTS 12-08-2016\STA Sunval Letter\Contract Carriage